न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 84/2025(GCMS : 2025/182)

कृष्णलाल पुत्र हनुमान उम्र 50 साल जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके, तहसील रायसिंहनगर तत्कालीन जिला अनूपगढ़ वर्तमान जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **नरसीराम** पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
2. **लालचन्द** पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
3. **धनराज** पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
4. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश गोदारा ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए, आरटीए व 212 आरटीए के एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या 160/2020 अनवानी कृष्णलाल बनाम नरसीराम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 160/2020 अनवानी कृष्णलाल बनाम नरसीराम अन्तर्गत धारा 53, 88, 188ए, 92ए आरटीए व धारा 212 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:09 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर